



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102024-257627
CG-DL-E-01102024-257627

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3950]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 1, 2024/आश्विन 9, 1946

No. 3950]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2024/ASVINA 9, 1946

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4309(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, नामतः:-

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर-पदेन अध्यक्ष;
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति प्रभारी-पदेन सदस्य;
- (ग) केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी-पदेन सदस्य;
- (घ) प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय-सदस्य;
- (ङ) श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री - सदस्य; और
- (च) डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली -सदस्य।

2. पैराग्राफ 1 के खंड (घ) से (च) में उल्लिखित मौद्रिक नीति समिति के सदस्य अपने पद पर चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बने रहेंगे।

[फा. सं. 12/1/2016-एफएसएलआरसी]

रीतू जैन, आर्थिक सलाहकार (एफएसआरएल)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2024

S.O. 4309(E).—In exercise of the powers conferred by section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby constitutes the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India, consisting of the following, namely:—

- (a) Governor of the Reserve Bank of India—Chairperson, ex officio;
- (b) Deputy Governor of the Reserve Bank of India, in charge of Monetary Policy—Member, ex officio;
- (c) One officer of the Reserve Bank of India to be nominated by the Central Board—Member, ex officio;
- (d) Prof. Ram Singh, Director, Delhi School of Economics, University of Delhi—Member;
- (e) Shri Saugata Bhattacharya, Economist; and
- (f) Dr. Nagesh Kumar, Director and Chief Executive, Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi —Member.

2. The Members of the Monetary Policy Committee referred to in clause (d) to (f) of Paragraph 1, shall hold office for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 12/1/2016-FSLRC]

REETU JAIN, Economic Adviser (FSRL)